उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 522/ix-1/2023-79/ix-1/2018
देहरादूनः दिनांक 12 सितम्बर, 2023

उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति संलग्न कर यथाप्रक्रिया अग्रेत्तर प्रख्यापित किये जाने से पूर्व प्रस्तावित नियमों के सम्बन्ध में, जिन व्यक्तियों का प्रभावित होना संभाव्य है, द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 21 दिवस के भीतर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष रोड, देहरादून को प्रेषित किये जा सकते हैं।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

संख्याः 522 /ix–1/2023–79/ix–1/2018, तददिनांकित।
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को हिन्दी एवं अंग्रेजी में विभागीय वेबसाइट एवं समाचार पत्रों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. आयुक्त, गढ़वाल व कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियाँ परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

C.S.BISHT.C:\Higher Education New\Documents\D.S.Rawat\U.O.letter

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–442/ix-1/(79/2018)/2023
देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2023

अधिसूचना

चूंकि, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 93, धारा 95 एवं धारा 96 के अधीन राज्य सरकार में उक्त अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा उक्त अधिनियम की धारा–212 की उपधारा (1) में पूर्व प्रकाशन की शर्तो के अधीन रहते हुये नियम बनाने की शक्ति निहित है।

अतः अब राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन (संशोधन) नियमावली, 2023 का प्रारूप समस्त सम्बन्धितों की जानकारी के लिये उन व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, के सूचनार्थ निम्नवत् एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं।

राज्यपाल, यह निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना से सम्बन्धित हितधारी एवं जनसामान्यों द्वारा इस अधिसूचना से सम्बन्धित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियाँ इस अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिवस के भीतर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष रोड, देहरादून को प्रेषित किये जा सकते हैं।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नियमावली प्रारूप

उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेकागाड़ी द्वारा परिवहन (संशोधन) नियमावली, 2023

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td>1</td><td>(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेकागाड़ी द्वारा परिवहन (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
(2) यह नियमावली, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 2 का संशोधन</td><td>2</td><td>उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेकागाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 2 में (1) नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान उप नियम (3) एवं (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये उप नियम निम्नवतः प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात–
<table>
<tr><th>स्तम्भ 1
विद्यमान उप नियम</th><th>स्तम्भ 2
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम</th></tr>
<tr><td>(3) के निर्बन्धनों के अनुसार जारी अथवा नवीनीकृत की गयी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है,
"अनुज्ञप्ति" से किराया या पारिश्रमिक के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ठेका गाड़ी द्वारा ऑन–डिमाण्ड</td><td>(3) "अनुज्ञप्ति" से किराया या पारिश्रमिक के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ठेका गाडी, जिसमें दो पहिया और तिपहिया वाहन सम्मिलित हैं, द्वारा ऑन–डिमाण्ड परिवहन उपलब्ध करवाने के कारोबार में लगने के</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

4

		परिवहन उपलब्ध करवाने के कारबार में लगने के लिए इस नियमावली के नियम 6 के निर्बन्धनों के अनुसार जारी अथवा नवीकृत की गयी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;	लिए इस नियमावली के नियम 6 के निर्बन्धनों के अनुसार जारी अथवा नवीकृत की गयी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;
		(5) "एग्रीगेटर" से ऐसा सेवा प्रदाता या ऑपरेटर अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन विधिमान्य परमिट रखने वाले ठेका गाडी के चालक के साथ किसी मोबाइल फोन या वेब एप्लीकेशन के द्वारा या किसी कॉल सेन्टर के माध्यम से या किसी अन्य उन्नत प्रोद्योगिकी के द्वारा यात्री को जोड़ने के लिए डिजिटल मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है।	(5) ठेकागाड़ी"एग्रीगेटर" से ऐसा सेवा प्रदाता या ऑपरेटर अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन ठेका गाडी के संचालक अथवा चालक के साथ यात्री को जोड़ने के लिए डिजिटल मध्यवर्ती या मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करता है।
	(ii)	उप नियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम जोड़ दिये जाएंगें, अर्थात–	
		(6) "एप" से एग्रीगेटर या किसी तीसरे पक्षकार द्वारा एग्रीगेटर की ओर से संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक इन्टर फेस अभिप्रेत है, जिसे कम्प्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से अभिगमन (Access) किया जा सकता है;	
		(7) "प्रचालन का क्षेत्र" से इस नियमावली के अधीन चलने वाली ठेकागाड़ी को परमिट के अनुसार विधिमान्य परिचालन मार्ग या क्षेत्र से अभिप्रेत है;	
		(8) "कम्प्यूटर संसाधन" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन परिभाषित कम्प्यूटर संसाधन अभिप्रेत है;	
		(9) "संचार उपकरण" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन परिभाषित संचार उपकरण अभिप्रेत है;	
		(10) "किराया" से एग्रीगेटर द्वारा राइडर के लिए एप के माध्यम से प्रदर्शित किए गए किराए को यात्री द्वारा बुकिंग करने के उपरान्त यात्रा समाप्ति पर किए जाने वाले भुगतान अभिप्रेत है;	
		(11) "फीस" से लाइसेंस के संबंध में ऐसी फीस अभिप्रत है, जैसा कि इस नियमावली के अधीन निर्धारित की जाय;	
		(12) "अनुज्ञप्ति धारी" से ऐसा एग्रीगेटर अभिप्रेत है, जिसके पास इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति है;	
		(13) "एकीकरण" से एक वाहन और चालक का एग्रीगेटर के साथ एकीकरण और इस प्रकार के वाहन को एग्रीगेटर के साथ संचालन अभिप्रेत है;	
		(14) "पृथकीकरण" से एग्रीगेटर के साथ एकीकृत वाहन का पृथकीकरण अभिप्रेत है;	
		(15) "रेटिंग" से एक राइडर द्वारा अपेक्षित यात्रा के सफल समापन	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>की गुणवत्ता का आंकलन अभिप्रेत है;</td></tr>
<tr><td>(16) "पुनश्चर्या प्रशिक्षण" कार्यक्रम से एग्रीगेटर के साथ एकीकृत ड्राइवरों के लिए कम से कम 02 दिनों की अवधि के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण सत्र अभिप्रेत है, जिसमें इन्डक्सन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अधीन निर्धारित पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण दिया जायेगा;</td></tr>
<tr><td>(17) "उपचारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम" से एग्रीगेटर के साथ एकीकृत ड्राइवरों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिनकी रेटिंग 02 प्रतिशत से कम है;</td></tr>
<tr><td>(18) "सवार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा एग्रीगेटर के साथ पंजीकृत चालक या वाहन द्वारा यात्रा सुविधा प्राप्त करने के लिये एग्रीगेटर के माध्यम से यात्रा बुक की गई हो अथवा एग्रीगेटर एप के माध्यम से यात्रा बुक की गयी हो अथवा उसे एग्रीगेटर एप के साथ एकीकृत ड्राईवर द्वारा यात्रा करायी गयी हो;</td></tr>
<tr><td>(19) "प्रतिपूर्ति जमा" से ऐसी राशि अभिप्रेत है, जो एक एग्रीगेटर द्वारा लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय बैंक गारण्टी के रूप में देय हो;</td></tr>
<tr><td>(20) "सेवा प्रदाता अनुबन्ध" से एग्रीगेटर और चालक या वाहन स्वामी के मध्य निष्पादित संविदा, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व निर्धारित हों, अभिप्रेत है;</td></tr>
<tr><td>(21) "सर्ज प्राइसिंग" से एक एग्रीगेटर की एक एल्गोरिथम की निष्पति अभिप्रेत है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाने की दशा में किसी यात्रा फेरे का किराया स्वतः बढ़ा देती है;</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>नियम 4 का संशोधन</td><td>3</td><td>मूल नियमावली के नियम 4 में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–
<table>
<tr><th>स्तम्भ 1
विद्यमान उप नियम</th><th>स्तम्भ 2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम</th></tr>
<tr><td>(1) नियम 6 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–1 में किया जायेगा और उसके साथ नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित साढ़े पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक से दस लाख रूपये की बैंक गारन्टी होगी।</td><td>(1) नियम 6 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–1 में किया जायेगा और उसके साथ नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित साढे पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति बैंक गारन्टी के रूप में होगी।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>नियम 5 का संशोधन</td><td>4</td><td>मूल नियमावली के नियम 5 में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान खण्ड (एक), (तीन), (चार) तथा (छः) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात–
<table>
<tr><th>स्तम्भ 1
विद्यमान खण्ड</th><th>स्तम्भ 2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		(एक) कि आवेदक भारत में लागू विधियों के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत संस्था है।	(एक) कि आवेदक कम्पनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन पंजीकृत एक कम्पनी अथवा को–ओपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1912 के अधीन पंजीकृत चालक या मोटर वाहन स्वामियों के समूह अथवा ऐसे अन्य समूह द्वारा गठित को–ओपरेटिव सोसायटी अथवा सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत सीमित दायित्व साझेदारी अथवा भारत वर्ष अथवा किसी राज्य में प्रचलित विधि के अधीन गठित कोई व्यवसायिक उपक्रम है;
		(तीन) कि आवेदक ग्राहकों और ड्राईवरों हेतु एक कॉलसेन्टर दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा जिस हेतु उक्त सेवाऐं देने का आशय रखता हो;	(तीन) कि आवेदक ग्राहकों और ड्राईवरों हेतु शिकायत निवारण तंत्र दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा जिस हेतु उक्त सेवाऐं देने का आशय रखता हो;
		(चार) कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लीकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाता है जिसमें शिकायत दूर करने वाले अधिकारी का क्रियाशील दूरभाष संख्याक और ई–मेल पता हो;	(चार) कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लीकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और एक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएगा, जो कि यात्रा के आरम्भ और समाप्ति तक क्रियाशील होगा;
		(छः) कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम पचास मोटर कैब के व्यैक्तिक परमिट धारकों के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करता है।	(छः) कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम दस ठेका बसें अथवा पच्चीस अन्य वाहन के वयैक्तिक परमिट धारकों के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करता है।
नियम 6 का संशोधन	5	मूल नियमावली के नियम 6 में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–	
		स्तम्भ 1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
		(2) आवेदक, साढे चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् किंतु अनुज्ञप्ति के अवसान से कम से	(2) आवेदक, साढे चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् किंतु अनुज्ञप्ति के अवसान से कम से

		कम तीन मास पूर्व किसी भी समय अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए साढ़े पांच वर्ष की विधि मान्यता के साथ अनुसूचित बैंक से अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित दस लाख रूपये की नवीकृत बैंक गारंटी के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।	कम तीन मास पूर्व किसी भी समय अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए साढ़े पांच वर्ष की विधि मान्यता के साथ अनुसूचित बैंक से अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में नियम–18 में विहित नवीकृत बैंक गारंटी के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
नियम 8 का संशोधन	6	मूल नियमावली के नियम 8 में (1) नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान उप नियम (1) के खण्ड (ग्यारह) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–	
		स्तम्भ 1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
		(ग्यारह) भौतिक अवस्थिति को ट्रैक करने की सक्षम युक्ति से सुसज्जित हो और उसमें यात्रा के किराये और समय की सही संगणना करने के लिए दूरी और समय की माप करने के लिए सक्षम युक्ति हो, ऐसा उपस्कर यान के स्वामी द्वारा लगाया जायेगा; परन्तु लोकेशन ट्रैकिंग या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम युक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये विनिर्देशों का पालन करेगी।	(ग्यारह) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–125 (एच) में यथा विहित ऑटोमोटिव इण्डस्ट्री स्टैण्डर्स (ए.आई.एस.) 140 मानक वाली भौतिक अवस्थिति को ट्रैक करने की सक्षम युक्ति से सुसज्जित हो और उसमें यात्रा के किराये और समय की सही संगणना करने के लिए दूरी ओर समय की माप करने के लिए सक्षम युक्ति हो, ऐसा उपस्कर यान के स्वामी द्वारा लगाया जायेगा; परन्तु वाहन लोकेशन ट्रैकिंग युक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऑवर द एयर (ओ.टी.ए.) अथवा अन्य माध्यम से समय–समय पर दिये गये विनिर्देशों का पालन करेगी।
	(ii)	उप नियम (1) के खण्ड (तेरह) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जायेगा, अर्थात–	
		(चौदह) एग्रीगेटर द्वारा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एक प्रणाली स्थापित की जायेगी। स्पष्टीकरण: प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम से किसी वाहन के ऑन बोर्डिंग से पूर्व एग्रीगेटर द्वारा संचालित एक 05 दिवसीय कुल 30 घण्टे की अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फेम वर्क के अनुरूप पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एग्रीगेटर द्वारा या तो स्वतंत्र रूप से या किसी व्यवसायिक संस्था के माध्यम से संचालित किया जायेगा। नागरिकों के सूचना हेतु पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध करायी जायेगी। पाठ्यक्रम में चालकों को जानकारी देने, पढ़ाई तथा प्रशिक्षण देने हेतु	

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगेः–
(1) एग्रीगेटर 'एप' का दक्षता पूर्वक उपयोग;
(2) मोटरवाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में विहित उपबन्ध;
(3) सड़क सुरक्षा तथा ऊपर वर्णित 30 घण्टे के प्रशिक्षण में से 06 घण्टे प्रथम प्रति सादकर्ता;
(4) सफलता पूर्वक वाहन संचालन;
(5) संचालित वाहनों की सफाई, अनुरक्षण एवं ईधन दक्ष वाहन संचालन;
(6) संचालन क्षेत्र में मार्गो से परिचय;
(7) चालक एवं वाहन स्वामी तथा एग्रीगेटर के मध्य संविदा के नियम एवं शर्ते;
(8) लैंगिक संवेदनशीलता तथा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा;</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii)</td><td colspan="2">उप नियम (2) में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान खण्ड (छः) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्तम्भ–1
विद्यमान खण्ड</td><td>स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(छः) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले ड्राईवर को घण्टों की किसी न्यूनतम संख्या के लिए यान चलाने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा, किन्तु जब कभी लागू हो सुरक्षित यान चलाने के लिए घण्टों की अधिकतम संख्या के लिए नियमों का अनुसरण किया जायेगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम द्वारा चालन घण्टों का मीटरी अभिलेखन सुनिश्चित किया जायेगा; और</td><td>(छः) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेट फार्म का उपयोग करने वाले ड्राईवर को घण्टों की किसी न्यूनतम संख्या के लिए यान चलाने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा, किन्तु जब कभी लागू हो सुरक्षित यान चलाने के लिए घण्टों की अधिकतम संख्या के लिए नियमों का अनुसरण किया जायेगा। वाहन लोकेशन ट्रेनिंग प्रणाली द्वारा चालन घण्टों का मीटरी अभिलेखन सुनिश्चित किया जायेगा; और</td></tr>
<tr><td></td><td>(iv)</td><td colspan="2">स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान उप नियम (10) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्तम्भ–1
विद्यमान खण्ड</td><td>स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(10) अनुज्ञप्तिधारी किराया पर अपनी नीति प्रकाशित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किरायादर, प्लेटफार्म एप्लीकेशन के साथ यानों और ड्राईवर के रजिस्ट्रीकरण, यानों के स्वामियों और ड्राईवरों के साथ किराया साझा करने, यात्रियों की सुरक्षा, शिकायत दूर करने के लिए तंत्र इत्यादि के सन्दर्भ में होगी। उसे</td><td>(10) (एक) एप को सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन बनाया जाएगा।
(दो) एप हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाएगा।
(तीन) एप की सुरक्षा एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा फर्म द्वारा प्रमाणित की जाएगी।
(चार) यह सुनिश्चित किया जायेगा की एप की आन्तरिक</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">इन नीतियों का पूरी बारीकी और पारदर्शिता से अनुसरण करना होगा।</td><td>कमजोरियां भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना तकनीकी मंत्रालय के तत्वाधान में गठित भारतीय कम्प्यूटर आकस्मिकता टीम (computer emergency response team) को प्रदर्शित हो;
(पांच) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एप पर अपलोड किया गया डाटा, जिस तिथि से सृजित किया जाएगा, उस तिथि से कम से कम 03 माह और अधिकतम 24 माह तक संग्रहित होगा, यह डाटा राज्य परिवहन प्राधिकरण को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किया जायेगा। कोई भी डाटा ग्राहकों की लिखित सहमति के बिना प्रदर्शित नहीं किया जाएगा,</td></tr>
<tr><td></td><td>(v)</td><td colspan="3">उपनियम (11) को विलोपित कर दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>(vi)</td><td colspan="3">स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (13) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्तम्भ–1
विद्यमान उप नियम</td><td colspan="2">स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(13) अनुज्ञप्तिधारी महिला ड्राईवर वाली उतनी संख्या में मोटर कैब जितनी संभाव्य हो, रजिस्टर करने का प्रयास करेगा।</td><td colspan="2">(13) अनुज्ञप्तिधारी महिला ड्राईवर वाली उतनी संख्या में ठेका गाड़ी जितनी संभाव्य हो, रजिस्टर करने का प्रयास करेगा।</td></tr>
<tr><td>नियम 8क एवं 8ख का अन्तःस्थापन</td><td>7</td><td colspan="3">मूल नियमावली के नियम 8 के पश्चात नया नियम 8क एवं 8ख निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दिये जायेगें, अर्थात–</td></tr>
<tr><td>किराया का विनियमन</td><td>8क–</td><td colspan="3">(1) अनुज्ञप्तिधारी किराया पर अपनी नीति प्रकाशित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किराया दर पर आधारित होगी। किराया नीति निर्धारण में प्लेटफार्म एप्लीकेशन के साथ यानों और ड्राईवर के रजिस्ट्रीकरण, यानों के स्वामियों और ड्राईवरों के साथ किराया साझा करने, यात्रियों की सुरक्षा, शिकायत दूर करने के लिए यंत्र इत्यादि का संदर्भ लिया जाएगा। उसे इन नीतियों का पूरी बारीकी और पारदर्शिता से अनुशरण करना होगा।
(2) किराया और दूरी की गणना के लिए वास्तविक संचालन के दौरान प्रमाणित 'सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम (Software Algorithms)' का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे साफ्टवेयर की गुणवत्ता की परीक्षा स्टेन्डर्डाइजेशन टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी सर्टिफिकेशन (STQC) या इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से प्राधिकृत किसी अन्य संस्था से करायी जायेगी।</td></tr>
</table>

		(3) सडक दूरी, यात्री तक पहुंचने में तय दूरी तथा व्यय ईंधन की प्रतिपूर्ति हेतु न्यूनतम 05 किमी0 का किराया किसी भी यात्री से प्रभारित किया जा सकेगा। (4) सर्ज प्राइजिंग के रूप में अनुमन्य विचलन किसी यात्रा के लिए विहित किराए से अधिकतम 25 प्रतिशत अधिक होगा। परन्तु किसी स्थिति में सेवाओं की आपूर्ति के मांग से अधिक होने पर विहित किराए से 25 प्रतिशत कम किराए तक सेवा की आपूर्ति की जा सकेगी। (5) एग्रीगेटर के साथ एकीकृत कोई भी वाहन चालक या स्वामी प्रत्येक यात्रा पर प्रभारित किये जाने वाले किराये का न्यूनतम 80 प्रतिशत प्राप्त करेगा तथा शेष धनराशि एग्रीगेटर द्वारा प्राप्त की जायेगी। (6) प्रत्येक यात्रा के लिये प्रभारित किराये की धनराशि के ऊपर 2 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा, जो उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 8क के अन्तर्गत गठित निधि में जमा किया जाएगा। (7) निधि का संचालन, रख–रखाव एवं उपयोग विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
यात्रा रद्द करना–	8ख	(1) बिना वैध कारण के यदि चालक, वाहन स्वामी या एग्रीगेटर द्वारा बुकिंग को रद्द किया जाता है तो कुल किराया का 10 प्रतिशत शास्ति (जुर्माना) जो कि रू0 200 से अधिक नहीं होगा, अधिरोपित किया जाएगा। (2) यदि बिना वैध कारण के राइडर द्वारा बुकिंग को रद्द किया जाता है तो कुल किराया का 10 प्रतिशत शास्ति जोकि रू0 200 से अधिक नहीं होगा, अधिरोपित किया जाएगा। यह जुर्माने की राशि चालक और एग्रीगेटर के मध्य क्रमशः 80 एवं 20 प्रतिशत के अनुपात में वितरित की जाएगी। (3) उपनियम (1) के अन्तर्गत प्राप्त समस्त शास्ति (जुर्माना) नियमावली के नियम 8क के उपनियम (6) अन्तर्गत गठित निधि में जमा किया जाएगा। स्पष्टीकरण–यात्रा रद्द करने के लिए वैध कारण वह होंगे, जिन्हें लाइसेंस धारक द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अपनी वेबसाइट, पोर्टल या एप पर प्रदर्शित किया जाएगा।
नियम 12 का संशोधन	8	मूल नियमावली में स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यदि अनुज्ञप्ति धारक इन नियमों में यथावर्णित शर्तों और निर्बंधनों का पालन करने में विफल रहता है या अनुज्ञप्तिधारी का कोई कर्मचारी यात्रा करने वाले किसी यात्री के साथ कदाचार या अवचार का दोषी पाया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति	यदि, अनुज्ञप्ति धारक इन नियमों में यथावर्णित शर्तों और निर्बंधनों का पालन करने में विफल रहता है या अनुज्ञप्तिधारी का कोई कर्मचारी यात्रा करने वाले किसी यात्री के साथ कदाचार या अवचार का दोषी पाया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति को

<table>
<tr><td></td><td></td><td>को निलम्बित या प्रतिसंहृत या/और बैंक गारन्टी या अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसके समुचित भाग का समपहरण कर सकेगा।</td><td>निलम्बित या प्रतिसंहृत करने के साथ–साथ या अन्यथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए, सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि या उसके किसी भाग का समपहरण कर सकेगा।</td></tr>
<tr><td>नियम 14 का संशोधन</td><td>9

(ii)</td><td colspan="2">मूल नियमावली के नियम 14 में (i) स्तम्भ 1 में दिए गए शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात–
<table><tr><th>स्तम्भ 1
विद्यमान शीर्षक</th><th>स्तम्भ 2
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित शीर्षक</th></tr><tr><td>अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना और अनुज्ञप्ति का अन्तरण</td><td>अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना</td></tr><tr><td colspan="2">उपनियम (4) को विलोपित कर दिया जाएगा।</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>नियम 14क एवं 14 ख का अन्तः स्थापन

अनुज्ञप्ति का अन्तरण</td><td>10

14क</td><td colspan="2">मूल नियमावली के नियम 14 के पश्चात एक नया नियम 14 क एवं 14 ख निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात,

(1) अन्तरक तथा अन्तरिती के द्वारा संयुक्त रूप से प्रपत्र–4 में विहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा नियम–18 में नई अनुज्ञप्ति हेतु विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर इन नियमों के अधीन जारी या नवीनीकृत अनुज्ञप्ति का अन्तरण किया जा सकेगा।
(2) अन्तरण के आवेदन के साथ अन्तरिती द्वारा नियम–18 में विहित अनुज्ञप्ति की वैधता की तिथि तक वैधता वाली प्रतिभूति बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।
(3) अन्तरण स्वीकार होने के पश्चात अन्तरक द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी।
(4) अन्तरिती पर समस्त शर्तें इस प्रकार से प्रभावी होंगी जैसे वह मूल अनुज्ञप्तिधारी हैं।
(5) अनुज्ञप्तिधारी संस्था की समस्त देयताएं अन्तरण के पश्चात अन्तरिती पर अन्तरित मानी जाएगी।
(6) अन्तरण के 45 दिवस के भीतर अन्तरिती द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ पंजीकृत समस्त वाहनों से डिजिटल माध्यम से इस आशय की सहमति प्राप्त करनी होगी कि वह अन्तरण के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा जारी रखना चाहते हैं। ऐसे वाहन स्वामी जो 45 दिनों में अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं, उन्हें संविदा से पृथक माना जाएगा।
(7) अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या करोबार करने में अक्षम होने की दशा में उसके विधिक वारिस द्वारा 90 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। 90 दिन की अवधि में अनुज्ञप्तिधारी के विधिक वारिस द्वारा संस्था के व्यवस्था का संचालन 10 प्रतिशत शुल्क के साथ मूल अनुज्ञप्तिधारी की भांति किया जा सकेगा।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>नियमावली के उपबन्धों से छूट–</td><td>14ख</td><td>(1) 500 से अनधिक दो पहिया तथा तिपहिया वाहनों के फ्लीट धारक एग्रीगेटर पर नियमावली के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (दस), (ग्यारह), (तेरह) एवं (चौदह), नियम 8 के उपनियम(3) के खण्ड (पांच) (च) एवं नियम 8'ख' के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
(2) ऐसे वाहन जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 66 के अधीन परमिट की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है, उन पर नियम 13 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
(3) एम्बुलेंस श्रेणी के वाहनों का पृथक से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस धारक द्वारा इस श्रेणी के वाहनों को एग्रीगेट किया जा सकेगा।
(4) राज्य सरकार, अधिसूचना के माध्यम से इस नियमावली के अधीन किसी नियम के प्रवर्तन से किसी भी श्रेणी के वाहन को, उस अवधि के लिये,जैसा कि,वह उचित समझे, छूट प्रदान कर सकेगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 18 का संशोधन</td><td>11</td><td>मूल नियमावली के नियम 18 में दी गयी विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रख दी जायेगी, अर्थातः–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रयोजन</th><th>फीस की धनराशि (रूपये में)</th><th>अधिसूचित बैंक द्वारा जारी प्रतिभूति राशि (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अनुज्ञप्ति प्रदान अथवा नवीनीकृत करनाः–</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(क) 500 से अनधिक तथा अनन्य रूप से दोपहिया व तिपहिया वाहनों के फ्लीट धारक</td><td>2500</td><td>2500</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) क श्रेणी को छोडकर अन्य प्रकार के फ्लीट धारक (मिश्रित श्रेणी वाले फ्लीट सहित)–
(i) 50 बस अथवा 200 अन्य वाहन तक</td><td>25000</td><td>25000</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) 51 से 100 बस अथवा 201 से 500 तक अन्य वाहन</td><td>50000</td><td>50000</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग) 101 से 200 बस अथवा 501 से 2000 तक अन्य वाहन</td><td>200000</td><td>200000</td></tr>
<tr><td></td><td>(घ) 200 बस अथवा 2000 अन्य वाहनो से अधिक</td><td>500000</td><td>500000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना</td><td>500</td><td>–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अनुज्ञप्ति पर पता परिवर्तन या नई शाखा खोलने के लिए</td><td>2500</td><td>–</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>प्रपत्र एआर–1 का संशोधन</td><td></td><td>मूल नियमावली के अनुलग्नक प्रपत्र एआर–1 में क्रमांक 6 पर आये शब्द "मोटरटैक्सी" के स्थान पर शब्द "ठेकागाड़ी" रख दिया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>प्रपत्र एआर–4 का अन्तःस्थापन</td><td></td><td>मूल नियमावली के अनुलग्नक प्रपत्र एआर–3 के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र एआर–4 अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा,</td></tr>
</table>

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

प्रपत्र–एआर–4

(नियम 14 (ए) देखिये)

अनुज्ञप्ति के अन्तरण के लिए आवेदन पत्र

सेवामें,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

मैं .....(एग्रीगेटर या उत्तरजीवी का पूरा नाम)

मुख्य कार्यालय का पता.....

एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेकागाड़ीद्वारा परिवहन नियमावली, 2023 के अधीन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति संख्या.....दिनांक..... जारी गयी है।

(क) अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु दिनांक..... को हो गयी है और मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी से विधिक वारिसान/उत्तरजीवी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। मेरे अतिरिक्त अन्य उत्तरजीवियों को अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण मेरे नाम किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, अथवा

(ख) मैं उक्त व्यवसाय को नहीं करना चाहता हूं एवं अनुज्ञप्ति को श्री/सुश्री..... ..... के नाम अन्तरित करना चाहता हूं। मै यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा लाइसेंस के अन्तरण के लिए अन्तरिती से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया है।

2– कृपया उक्त अनुज्ञप्ति संख्या–..... दिनांक..... को श्री/सुश्री..... ....पता..... के नाम पर अन्तरित करने का कष्ट करें।

3– मैंने विहित फीस ..... रुपये रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा भुगतान कर दिया है।

स्थान : .....

दिनांक : ..... आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India," the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 442 /IX-1/2023-79/IX-1/2018 Dehradun, Dated 12 September, 2023 for general information.

Uttarakhand Government
Transport Section – 1
No.442/ix-1/2023-79/ix-1/2018
Dehradun : Dated 12 September, 2023
Notification

Whereas, under section 93, 95 and 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) for carrying out the provisions of the said Act in the State Government by notification in the official Gazette and the power to make rules is veseted in the sub section (1) of section 212 of the said Act, subject to the condition of previous publication.

Now, therefore, as per the requirement of sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Governor hereby publishes the draft of Uttarakhand On-Demand (Information Technology Based) Transportation by Contract Carriage (Amendment) Rules, 2023 for the information of all concerned;

The Governor directs that any representation and objections related to this notification by the beneficiary and the general public related to this notification may be sent within the period of 21 days from the date of publication of this notification in the newspaper to the office of Secretary, Transport Department, Government of Uttarakhand, 4 Subash Road, Dehradun;

The Governor also directs that representations and objections shall not be accepted after the said time period.

Draft of Rules

The Uttarakhand On-Demand (Information Technology Based) Transportation by Contract Carriage (Amendment) Rules, 2023

<table>
<tr><td>Short Title and Commencement</td><td>1.</td><td>(1) These rule may be called the Uttarakhand On-Demand (Information Technology Based) Transportation by Contract Carriage (Amendment) Rules, 2023.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.</td></tr>
<tr><td>Amendment of Rule 2</td><td>2.</td><td>In Rule 2 of the Uttarakhand On-Demand (Information Technology Based) Transportation by Contract Carriage Rules, 2020,(herein after referred as Principal Rules)(i) for the existing sub rule (3) and (5) given in column 1 below, the sub rule given in column 2 shall be substituted as follows,namely-
<table>
<tr><th>Column 1
Existing Sub Rule</th><th>Column 2
Sub Rule hereby substituted</th></tr>
<tr><td>(3)"License" means a license granted or renewed under rule 6 of these rules to engage in the business of providing on-demand transportation by motor cab, based on</td><td>(3) "License" means any license issued or renewed in accordance with the terms of rule 6 of these rules to engage in the business of providing on-demand transport by contract</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		information technology for hire or reward;	carriage which include two and three wheeler based on information technology for hire or reward.
		(5) "Aggregator" means a service provider or an operator who acts as a digital intermediary for a passenger to connect with a driver, by means of a mobile phone or web application or through a call centre or by any other advance technology, of Contract Carriage having a valid permit under the Act.	(5) "Aggregator" of a contract carriage means a service provider or operator who acts as a digital intermediary or market place for connecting a passenger with the operator or driver of a contract carriage under the Act.
	(ii)	After Sub-rule 5, the following sub rules shall be inserted as follows, namely	
		(6) "App" means an electronic interface operated by the Aggregator or any third party on behalf of the Aggregator, which may be accessed through a computer resource or communication device;	
		(7) "Area of operation" means the area or the route permitted to operate in accordance with the permit to a contract carriage operated under these rules;	
		(8) "Computer resource" means computer resource as defined under the Information Technology Act, 2000;	
		(9) "Communication equipment" means communication equipment as defined under the Information Technology Act, 2000;	
		(10) "Fare" shall mean the payment made by the Aggregator to the Rider at the end of the journey after the Passenger has booked the fare displayed through the App;	
		(11) "Fees" mean such fee, in respect of the license, as prescribed under these rules;	
		(12) "Licensee" means an aggregator having a license under these rules;	
		(13) "Integration" means integration of a vehicle and driver with an aggregator and operation of such vehicle with the aggregator.	
		(14) "Separation" means the separation of the vehicle integrated with the Aggregator;	
		(15) "Rating" means assessment of the quality of the successful completion of the journey required by a rider;	
		(16) "Refresher Training programme" means an annual training session of at least 2 days duration for drivers integrated with the aggregator, in which training shall be imparted on the prescribed course under the Induction Training Programme;	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(17) "Remedial Training Program" means the training program required by drivers integrated with the Aggregator whose rating is less than 2 percent;
(18) "Rider" means the person who has booked journey through Aggregator for availing travel facility by driver or vehicle registered with Aggregator or has booked journey through Aggregator App or has been booked through Aggregator App. or the journey has been carried out by the integrated driver;
(19) "Reimbursement deposit" means the amount payable by an aggregator by way of bank guarantee at the time of making an application for obtaining a license;
(20) "Service Provider Agreement" means a contract executed between the aggregator and the driver or vehicle owner, setting out the rights and obligations of both the parties;
(21) "Surge Pricing" means an algorithm resulting from an aggregator that automatically increases the fare for a trip when the demand for services in a given geographic area exceeds the supply.</td></tr>
<tr><td>Amendment of Rule 4</td><td>3.</td><td>In Rule 4 of Principal Rules for the existing sub-rule (1) given in column 1 below, the sub-rule given in column 2 shall be substituted namely:-
<table>
<tr><th>Column 1
Existing Sub Rule</th><th>Column 2
Sub Rule hereby substituted</th></tr>
<tr><td>(1) An application for the grant or renewal of a license under rule 6 shall be made in Form-1 to the licensing authority and shall be accompanied by a fee as specified in rule 18 and a bank guarantee of rupees ten lakh from scheduled bank with validity of five and half years drawn in favour of the licensing authority.</td><td>(1) An application for the grant or renewal of a license under Rule 6 shall be made to the Licensing Authority in Form-1 and it shall be accompanied by a fee as specified in Rule 18 and a security bank guarantee of a scheduled bank with a validity of five and a half years drawn in favour of the Licensing Authority.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Amendment of Rule 5</td><td>4.</td><td>In Rule 5 of Principal Rules for the existing clauses (i), (iii), (iv) and (vi) given in column 1 below, the clauses given in column 2 shall be substituted, namely:-
<table>
<tr><th>Column 1
Existing Clause</th><th>Column 2
Clause hereby substituted</th></tr>
<tr><td>(i) That the applicant is a registered entity under the applicable laws of India;</td><td>(i) That the applicant is a company registered under the Companies Act, 1956 or 2013 or a Co-operative society formed by a group of drivers or motor vehicle owners or such other group registered under the Co-operative Societies Act, 1912 or a limited liability partnership registered under</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>the Limited Liability Partnership Act, 2008 or a business undertaking formed under any law in force in India or any State;</td></tr>
<tr><td>(iii) That the applicant has a call centre for customers and drivers operating at all times of the day during which the applicant intends to provide the above services;</td><td>(iii)That the applicant shall maintain the grievance redressal mechanism for the customers and the drivers for the entire period of the day for which it intends to provide the said services;</td></tr>
<tr><td>(iv) That the applicant provides either a web or a phone application based customer service and grievance redressal mechanism having an operational telephone number and a email address of a grievance redressal officer;</td><td>(iv) That the applicant shall provide either web or phone application based customer service and a grievance redressal mechanism, which shall be functional till the start and end of the journey;</td></tr>
<tr><td>(vi)That the applicant maintains a fleet through a written or digital agreement or memorandum of understanding with individual permit holders of at least fifty motor cabs at all times.</td><td>(vi) that the applicant maintains a fleet of at least ten contract buses or twenty five other vehicles at all times through written or digital agreement or memorandum of understanding with individual permit holders.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Amendment of Rule 6</td><td>5</td><td>In Rule 6 of Principal Rules for the existing sub rule (2) given in column 1 below, the sub rule given in column 2 shall be substituted, namely-
<table>
<tr><th>Column 1
Existing Sub Rule</th><th>Column 2
Sub Rule hereby substituted</th></tr>
<tr><td>(2) The applicant may submit an application for renewal of license at any time after the completion of four and half years but not less than three months before the expiry of the license along with a renewed bank guarantee of rupees ten lakhs from scheduled bank with validity of five and half years drawn in favour of the licensing Authority.</td><td>(2) Applicant, after the completion of four and a half years but not less than 3 months before the expiry of the license may submit an application for renewal of license at any time in favour of the Licensing Authority from a scheduled bank with a legal validity of five and a half years along with the renewed bank guarantee prescribed in Rule 18.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Amendment of Rule 8</td><td>6.</td><td>In the Rule 8 of Principal Rules (i) for the existing Clause (xi) of sub-rule (I) given in column 1 below, the clause given in column 2 shall be substituted, namely-</td></tr>
</table>

		Column 1 Existing Clause	Column 2 Clause hereby substituted
		(xi) Be equipped with a device capable of tracing physical location and with a device capable of measuring the distance and time for accurate calculation of fare and time of travel. Such equipment shall be fitted by the owner of the vehicle: Provided that the location tracking or Global Positioning System (GPS) device shall comply with the specifications as laid down by the licensing authority from time to time;	(xi) Be equipped with a device having Automotive Industry Standards (AIS) 140 standard as prescribed in rule 125(h) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 capable of tracking physical location and a device capable of measuring distance and time for accurate computation of fare and time of travel, such equipment shall be fitted by the owner of the vehicle; Provided that the vehicle location tracking device shall comply with the commands given by the Licensing Authority through Over the Air (OTA) or other means from time to time.
	(ii)	After Clause (xiii) of Sub-Rule (1), the following Clause shall be inserted, namely:-	
		(xiv) A system will be set up by the aggregator for the induction training programme. Explanation: Induction training programme means a five days compulsory training programme of total 30 hours duration conducted by the aggregator prior to on-boarding of a vehicle, which shall be conducted by the aggregator or through a professional organization for imparting training on courses as per the National Skill Qualification framework. Detailed information related to the course shall be made available online for the information of the citizens. To inform, educate and train drivers in the curriculum to inter alia the following topics shall be included:- (1) Efficient use of the aggregator "App"; (2) Prescribed provisions in the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder; (3) 6 hours Road safety and first responder training out of the 30 hours of training described above; (4) Successful operation the vehicle; (5)Cleaning, maintenance, fuel efficient vehicle operation of vehicles; (6) Familiarly of routes in the operational area; (7) The terms and conditions of the contract between the driver and the vehicle owner and the aggregator; (8) Gender sensitivity and protection of women and girl child;	
		In Sub-Rule (2) for the existing Clause (vi) given in column 1	

	(iii)	below, the Clause given in column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing Clause	Column 2 Clause hereby substituted
(vi) Driver using the on-demand technology transportation platform shall not be compelled to drive a minimum number of hours, but should follow the rules for maximum number of hours for safe driving wherever applicable. The Global Positioning System device should ensure metric recording of driving hours; and	(vi) Drivers using an on-demand transport technology platform shall not be compelled to drive for any minimum number of hours, but shall follow the rules for the maximum number of hours for safe driving, as and when applicable. Meter recording of driving hours shall be ensured by Vehicle Location Tracking System; and

(iv)	For the existing Sub Rule (10) given in column 1 below, the Sub Rule given in column 2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing Sub rule	Column 2 Sub rule hereby substituted
(10)The licensee must publish its policy on fare which shall be with reference to the fare rates specified by the State Government, registration of vehicles and drivers with its platform application, sharing of fares with vehicles owners and drivers, safety of passengers, mechanism for grievance redressal etc. It shall also follow these policies meticulously and transparently.	(10) (i) The app shall be made under the Information Technology Act, 2000. (ii) The app shall be developed in both Hindi and English languages. (iii) The security of the app shall be certified by an accredited security association. (iv) It shall be ensured that the internal vulnerabilities of the App are exposed to the Indian Computer emergency response Team constituted under the aegis of Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. (v) It shall be ensured that the data uploaded on the App is stored for a minimum period of 3 months and maximum of 24 months from the date on which it is generated, the data shall be provided to the State Transport Authority in accordance with the procedure established by law. No data shall be displayed without the written consent of the

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><td></td><td>customers</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td colspan="2">Sub rule (11) shall be Omitted.</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td colspan="2">For the existing sub rule (13) in column 1 below, the sub-rule given in column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>Column 1
Existing Sub rule</td><td>Column 2
Sub rule hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>(13) The licensee shall endeavour to register as many motor cabs having woman drivers as may be feasible.</td><td>(13) The licensee shall endeavour to register such number of contract carriages with female drivers as may be feasible.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Insertion of Rule 8A and 8B</td><td>7.</td><td>After rule 8 of the principal rules, rule 8A and 8B shall be inserted as follows, namely:-</td></tr>
<tr><td>Regulation of Fare</td><td>8A</td><td>(1) The licensee shall publish its policy on fare which shall be based on the rate of fare specified by the State Government. In setting the fare policy, reference shall be made to registration of vehicles and drivers with platform application, sharing of fares with owners and drivers of vehicles, safety of passengers, mechanism for redressal of grievances etc. He has to follow these policies with utmost care and transparency.
(2) Proven software algorithm shall be used during actual operation for calculation of fare and distance. The quality testing of such software shall be conducted by Standardization Testing and Quality Certification (STQC) or any other institution authorized by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.
(3) Road distance, distance covered to reach the passenger and for reimbursement of fuel expenses a minimum fare of 5 km can be charged from any passenger.
(4) The permissible deviation by way of surge pricing shall be a maximum of 25 percent over and above the fare prescribed for a journey. But in case the supply of services exceeds the demand, the service may be supplied up to 25 percent less than the prescribed fare.
(5) Any driver or owner of any vehicle integrated with the aggregator will receive a minimum of 80 percent of the fare to be charged on each journey and the balance amount shall be received by the aggregator.
(6) A surcharge of 2 percent shall be payable on the amount of fare charged for each journey, which shall be deposited in the fund, constituted under section 8A of motor vehicle taxation (Reforms)Act 2003.
(7) The operation, maintenance and utilization of the fund shall be done as per the prescribed procedure.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Journey cancellation</td><td>8B</td><td>(1) If the booking is cancelled by the driver,vehicle owner or aggregator without valid reason, a penalty of 10 percent of the total fare not exceeding Rs.200 shall be levied.
(2) If the booking is cancelled by the rider without valid reason, a penalty of 10 percent of the total fare not exceeding Rs.200 shall be levied.This fine amount shall be distributed between the driver and the aggregator in the ratio of 80 and 20 percent respectively.
(3) All fines received under Sub-rule (1) shall be deposited in the fund constituted under Sub-rule (6) of Rule 8A.
Explanation- The valid reasons for cancellation of journey shall be such as displayed by the licensee on its website, portal or app after the approval of the licensing authority.</td></tr>
<tr><td>Amendment of Rule 12</td><td>8.</td><td>In the Principal Rules, for the existing rule 12 given in column 1 below the rule given in column 2 shall be substituted as follows, namely-
<table>
<tr><th>Column 1
Existing rule</th><th>Column 2
Rule hereby substituted</th></tr>
<tr><td>If the holder of a license fails to comply with the conditions and terms as mentioned under these rules or any employee of licensee is guilty of any misbehaviour or misconduct with any passenger travelling then the licensing authority may suspend or revoke the license and or forfeit the bank guarantee of rupees ten lakhs or appropriate portion looking to the seriousness of offence.</td><td>If the license holder fails to comply with the terms and conditions as set forth in these rules or any employee of the licensee is found guilty of malpractice or misconduct with any passenger travelling, the licensing authority shall suspend or revoke the license and/or forfeit total amount of security deposit or the appropriate part thereof, having regard to the gravity of the offence.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Amendment of Rule 14</td><td>9.

(ii)</td><td>In rule 14 of the Principal Rules (i) for the existing title given in column 1 below, Title given in column 2 shall be substituted, namely;
<table>
<tr><th>Column 1
Existing Title</th><th>Column 2
Title hereby substituted</th></tr>
<tr><td>Issue of duplicate license and transfer of license</td><td>Issue of duplicate license</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub rule (4) shall be omitted</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Insertion of Rule 14A and 14B

Transfer of License</td><td>10.

14A</td><td>After Rule 14 of the principal rules, a new Rule 14A and 14B shall be inserted as follows, namely-

(1) A license issued or renewed under these rules may be transferred on submission of the prescribed application jointly by the transferor and the transferee in Form 4 and on payment of the fee specified in Rule-18.
(2) Along with the transfer application, the transferee shall furnish a security in the form of bank guarantee, valid till the</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>date of validity of the license prescribed in Rule-18.
(3) The security furnished by the transferor shall be returned after the transfer is granted.
(4) All the terms and conditions shall have effect on the transferee as if he is the original licensee.
(5) All the liabilities of the license holder entity shall be deemed to have been transferred to the transferee after the transfer.
(6) Within 45 days of transfer, the consent of the transferee shall be obtained through digital means from all the vehicles registered with the licensee that he wants to continue the contract with the licensee after transfer. Vehicle owners who do not give their consent within 45 days shall be treated as out of contract.
(7) In case of death or inability to carry on business of the licensee, the application shall be submitted by his legal heir within 90 days. Within a period of 90 days, the legal heir of the licensee can operate the organization like the original licensee with 10% fee.</td>
</tr>
<tr>
<td>Exemption from the provisions of the rules-</td>
<td>14B</td>
<td>(1) The provisions of Clauses (x), (xi), (xiii) and (xiv) of sub-rule (1) of rule 8 and clause (v)(f) of sub-rule (3) of rule 8 and rule 8'B', of the rules on aggregators having fleet of not more than 500 two-wheelers and three-wheelers, shall not be applicable.
(2) The provisions of rule 13 shall not apply to such vehicles which are exempted from the requirement of permit under section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (as amended time to time).
(3) Ambulance category vehicles shall not be required to obtain a separate license. Vehicles of this category can be aggregated by the licensee under the provisions of these rules.
(4) The State Government may, through notification, exempt any class of vehicle from the operation of any rule, under these rules for such period as it may deem fit.</td>
</tr>
<tr>
<td>Amendment of Rule 18</td>
<td>11.</td>
<td>For the existing table given under Rule 18 of the Principal Rules, the following table shall be substituted as follows, namely:-
<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Purpose</th><th>Fee amount (In rupees)</th><th>Security deposit issued by notified bank (In rupees)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Grant or renewal of a license:-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(A) Fleet holders of not more than 500 and exclusively two wheeler and three wheeler vehicles</td><td>2500</td><td>2500</td></tr>
<tr><td></td><td>(b)Fleet holders other than Category A (including Mixed Category Fleets)-
(i) up to 50 buses or 200 other</td><td>25000</td><td>25000</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			vehicle (ii) 51 to 100 buses or 201 to 500 other vehicle	50000	50000
			(c) 101 to 200 buses or 501 to 2000 other vehicles	200000	200000
			(d) more than 200 buses or 2000 other vehicles	500000	500000
		2	Issue of duplicate license	500	-
		3	Change of address on license or opening of new branch	2500	-
Amendment of Form AR-1		In the annexure form-1 of the Principal Rules, for the words "motor taxi" appearing at serial number 6, the words "contract carriage" shall be substituted.			
Insertion of Form AR-4		The following form- AR-4 shall be inserted after form-3 of Annexure to the Principal Rules.			

By Order,

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary.

FORM- AR-4
[See Rule 14(a)]
Application Form for Transfer of License

To,
State Transport Authority
Uttarakhand,
Dehradun.

I.....(Full name of Aggregator or successor to aggregator in case of death)
Address of main office.....

I hereby inform that the license number..... dated..... has been issued by the State Transport Authority in the name of Mr/Ms. ..... to act as an aggregator under the Uttarakhand On-Demand (Information Technology Based) Transportation by Contract Carriage Rules, 2023.

(a) Death of the licensee has occurred on date..... and I have obtained legal heir/successor certificate from the competent authority. Successors other than be have no objection if the license is transferred in my name, or

(b) I do not want to carry on business and want to transfer the license in the name of Mr/Ms.....I also hereby declare that no compensation has been received by me from the transferee for the transfer of the license.

2. kindly transfer the said license number..... dated..... in the name of Shri ..... Address.....

3. I have paid the prescribed fee of Rs.....through receipt number.....dated .....

Place.....
Date..... Applicant/ Signature of Licensee